23.11.2022 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 2 के
वकील उप.। शेष विपक्षीगण एकतरफा।

चूंकि मूल वाद स्वत्वाधिकार एवं घोषणाधिकार
के बिन्दु पर आदेश हो चुका है।
निगरानी हेतु अर्जी को आगे चलाने
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
अतः मूल वाद की नजीर पर यह अर्जी
भी इसी पर आदेश किया जाता है।
पत्रावली फैसल उपरान्त बाद तामील दाखिल
दफ्तर हो।

[signature] 23/11/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested